उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–7
संख्या-4510/38–7–10–10एनआरईजीए/2005
लखनऊः दिनांक : 12 जुलाई, 2010

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005(अधिनियम संख्या–42 सन् 2005) की धारा–4 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या–2555/38–7–08–10एन0आर0ई0जी0ए0–2005 दिनांकः 23–10–2008 के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना उत्तर प्रदेश को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित योजना बनाते हैंः–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी(चतुर्थ संशोधन) योजना उत्तर प्रदेश, 2010

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– **(1)** यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (चतुर्थ संशोधन) योजना उत्तर प्रदेश, 2010 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 की धारा–3 की उपधारा–(1) के अधीन अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रस्तर–2 का संशोधन

2– सरकारी अधिसूचना संख्या–2555/38–7–08–10एन0आर0ई0जी0ए0–2005 दिनांकः 23–10–2008 के साथ प्रकाशित ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना उत्तर प्रदेश'' में निम्नवत संशोधन करते हुए नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड–1.1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
प्रस्तर–1.1 योजना का नामः यह योजना निम्नलिखित नाम से जानी जायेगीः– ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 की धारा–4 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना उत्तर प्रदेश''	प्रस्तर–1.1 योजना का नामः यह योजना निम्नलिखित नाम से जानी जायेगीः– ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 की धारा–4 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना उत्तर प्रदेश''

आज्ञा से

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव।

D/nrega 09, up Stet